भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-134

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

†134. श्री संजय दीना पाटिल:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अपेक्षित शिक्षकों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र के कई विद्यालयों में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षकों की लगातार कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे विद्यालयों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है और विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या का भी जिला - वार ब्यौरा क्या है,
(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई उपाय किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों बहुल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.): स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई छात्र संख्या/नए स्कूलों के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों से रिक्तियां उत्पन्न होती

रहती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रिक्तियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भरा जाए। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षिकों की रिक्तियों का ब्यौरा रखा जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती का अनुरोध करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किए गए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(च): एससी/एसटी समुदायों के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों सहित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कक्षा 3 के अंत तक सर्वसुलभ आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बोध पठन और संख्याज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत); तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश-दिशानिर्देशों की शुरूआत; एनईपी 2020 के अनुसरण में स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) और आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) का शुभारंभ; जादुई पिटारा की शुरूआत: 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री आदि शामिल है। शिक्षकों के निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) का आयोजन किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा तक बहुआयामी पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए राष्ट्र के डिजिटल रूप में दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म); कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल; रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का उपयोग; और दृष्टिहीन और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेजी) पर और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब आदि पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-सामग्री शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा सभी बच्चों को कौशल शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना (पोषण शक्ति निर्माण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी पात्र बच्चों को एक समय का गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

****